प्रकरण का प्रकार 75 एलआर एक्ट हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नजदीक पेशी पर पत्रावली आज पेशी मे ली गई। रिपोर्ट तहसील प्रस्तुत हुई। शामिल मिसल हो। पत्रावली मे उभय पक्षो की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अीपलांट द्वारा बहस मे कथन किया गया कि अपीलांट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रावतसर द्वारा आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 04.11.2004 को चक ढाणी लेघान के खसरा नं. 1343 की 0.708 है0 भूमि का आवंटन किया गया जो राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के नाम गैर खातेदार दर्ज चली आ रही थी। अपीलांट ने उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तब विचारण न्यायालय ने डीएलसी दर से राशि जमा करवाने का आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलांट को आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन किया गया था जिसमे बारानी भूमि की राशि 2000/– रू0 प्रति बीघा है विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वर्तमान डीएलसी दर से राशि जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट मे भी वादग्रस्त ग्राम ढाणी लेघान भूमि को नॉन प्रोजेक्ट ऐरिया स्थित होना माना गया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही रही दिनांक 18.01.18 को 2000 रू0 प्रति बीघा की दर राशि जमा करवाने तहसील कार्यालय पंहुचा तो इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिसके उपरांत बिना किसी देरी के अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की गई। अतः अपील अपीलांट अन्दर मानी जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2017 अपास्त किया जावें। राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी रावतसर द्वारा आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 04.11.2004 को चक ढाणी लेघान की अपीलांट को आवंटित भूमि, जो राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदारी दर्ज थी, की खातेदारी सनद जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डीएलसी दर से राशि जमा करवाने बाबत आदेश पारित किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि नॉन प्रोजेक्ट ऐरिया मे स्थित होना माना गया है जो तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे अंकित किया गया है। रिमाण्ड प्रकरण मे मे भी वादग्रस्त भूमि को बारानी माना गया है तथा आवंटित भूमि का भुगतान भी बारानी क्षेत्र आवंटन के तहत किया जाना उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

पारित अपीलाधीन आदेश बाबत वादग्रस्त भूमि की डीएलसी दर राशि जमा करवाने, त्रुटिपूर्ण साबित होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने पश्चात वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र मे स्थित नही होना पाया जाता है तो अपीलांट को आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/3/18

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)